राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु मेडिकल पुस्तकों को क्रय किये जाने एवं पंजीकरण हेतु शर्ते/प्रतिबन्ध (संशोधित)

प्रकाशकों/पुस्तक वितरकों **(Distributors)** से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज सील बन्द लिफाफे में जमा करें।

1. प्रकाशक/पुस्तक वितरक को राजकीय नर्सिंग संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में पुस्तकों की आपूर्ति होना आवश्यक है। जिसके सापेक्ष में उनके द्वारा कम से कम सालाना रू0 40.00 लाख का एक अथवा रू0 20.00 लाख (बीस लाख) के 02 आपूर्ति आदेशों की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
2. प्रकाशक/पुस्तक वितरक का जी0ओ0सी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिस हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. प्रकाशक/पुस्तक वितरक को पंजीकरण हेतु रू0 1000+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रू0 1180/-एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) डिमाण्ड ड्राप्ट के रूप में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जमा किया जाना होगा। जो कि **Non Refundable** होगा।
4. प्रकाशक/पुस्तक वितरक का पंजीकरण दिनांक 31/03/2024 तक वैध होगा।
5. प्रकाशक/पुस्तक वितरक व्यक्ति/फर्म कम्पनी हो।
6. प्रकाशक का निम्न विवरणः-

- प्रकाशक/पुस्तक वितरक का नाम :
- प्रकाशक/पुस्तक वितरक का पता :
- संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नम्बर :
- पैन कार्ड संख्या :
- बैंक का विवरण : (1) बैंक का नाम। (2) बैंक शाखा (खाता संख्या)। (4) आई0एफ0एस0सी0 कोड। उपरोक्त विवरण न होने की दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रकाशक/पुस्तक वितरक आदेशित राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में ही आपूर्ति के लिये बाध्य होगा।
8. प्रकाशक/पुस्तक वितरक गत 03 वर्षो (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) का आयकर विवरणीय दाखिल करने के साथ इस क्षेत्र में कम से कम 30.00 लाख (तीस लाख) का वार्षिक कारोबार होना आवश्यक है। सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट **(UDIN No)** सहित अंकित की जानी आवश्यक होगी।
9. प्रकाशक/पुस्तक वितरक का पैन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
10. प्रकाशक/पुस्तक वितरक को रू0 1,25,000/-(रू0 एक लाख पच्चीस हजार) मात्र का एफ0डी0आर0/डी0डी0 जो निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में देय हो, फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जिसे आपूर्ति की सफलतापूर्वक तीन (03) माह के पश्चात वापस की जायेगी।
11. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की मात्रा घट-बढ़ सकती है।
12. प्रकाशक/पुस्तक वितरक **(Distributor)** को मेडिकल पुस्तकों के नवीनतम प्रकाशक संस्करण के लिये सफल मूल्य छूट **(Flat Discount Offer)** उदृत किया जाना आवश्यक है। जिस पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर/मोहर सहित अलग से बन्द लिफाफे में जमा करें।
13. प्रकाशक/पुस्तक वितरक यदि आपूति करने में असमर्थ रहता है अथवा आदेश प्राप्त होने के 03 सप्ताह के सफलतापूर्वक आपूर्ति नहीं करता है, तो उनके द्वारा जमा की एफ0डी0आर0 को जब्त करने का अधिकार निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को होगा।
14. प्रकाशक/पुस्तक वितरक किसी भी प्रकार की असंवैधानिक प्रक्रिया में किसी अन्य राजकीय नर्सिंग/मेडिकल कॉलेज में **Blacklisted** नहीं होना चाहिये।
15. प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा राजकीय नर्सिंग/मेडिकल कॉलेजों में पुस्तकों के वितरण से सम्बन्धित विगत 03 वर्षो का सन्तोष जनक प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
16. आपूर्ति की गयी पुस्तकों की स्थिति/बाईडिंग/जिल्दसाजी एवं पुस्तकों से सम्बन्धित सामग्रियों जैसे-**CD/DVD** में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी होने पर उक्त पुस्तकों/सामान का प्रतिस्थापन प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत/मूल्य के संस्थान में उपलब्ध कराया जायेगा।
17. आपूर्ति का स्थान राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में की जानी होगी।
18. प्रकाशक/पुस्तक वितरक किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में संयुक्त निदेशक (मेडिकल), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय तथा प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार से सम्पर्क कर सकते है।

14/12/2023 (वित्त नियंत्रक) रा0मे0का0, हरिद्वार	12/12/23 (डॉ0 रंगील सिंह रैना) प्राचार्य, रा0मे0का0, हरिद्वार	(डॉ0 एम0के0 पन्त) संयुक्त निदेशक।	13-12-23 (मुख्य वित्त अधिकारी) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	(डॉ0 आशुतोष सयाना) निदेशक।

Scanned with AnyScanner